भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 252
(02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत बजट आवंटन

252. श्री के. सी. वेणुगोपाल:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए आवंटित कुल बजट कितना है और बढ़ती मुद्रास्फीति, ग्रामीण मांग में वृद्धि और मजदूरी भुगतान की लंबित देनदारियों के बावजूद 2023-24 से इसे स्थिर बनाए रखने के क्या कारण हैं;

(ख) संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट , जिसमें मजदूरी भुगतान में देरी और 100 गारंटीकृत कार्य दिवसों की अपर्याप्तता , भागीदारी को हतोत्साहित करने और ग्रामीण पलायन को बढ़ावा देने पर प्रकाश डाला गया है , विशेषकर केरल जैसे राज्यों में जहाँ यह योजना सालाना बीस लाख से अधिक परिवारों का सहायता देती है , के प्रत्युत्तर में राज्य -वार क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार का न्यूनतम गारंटीकृत कार्य दिवसों को बढ़ाकर 150 करने और मुद्रास्फीति के अनुसार मजदूरी संशोधित करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ , तो इसकी समय-सीमा और वित्त पोषण संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महत्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत पिछले पांच वर्षों में बजट अनुमान चरण , संशोधित अनुमान चरण में आवंटित निधियों और जारी की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(रूपए करोड़ में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	जारी राशि
1	2023-24	60,000.00	86,000.00	89,268.30
2	2024-25	86,000.00	86,000.00	85,838.76
3	2025-26	86,000.00	-	68,503.77*

(दिनांक 26.11.2025 तक)

चूंकि, महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग-आधारित मजदूरी रोजगार योजना है , अत: बजटीय परिव्यय किसी विशेष वित्तीय वर्ष में रोजगार की अनुमानित मांग के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यह मंत्रालय मांग के आधार पर निधि की आवश्यकताओं का नियमित आकलन करता है और जमीनी स्तर पर रोजगार की मांग पूरी करने के लिए वित्त मंत्रालय से आवश्यकतानुसार अतिरिक्त निधियों की मांग करता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में (दिनांक 27.11.2025 तक), पात्र ग्रामीण परिवारों में से 99.81% को उनकी मांग के अनुसार रोजगार की पेशकश की गई है।

यहाँ, यह भी ध्यान देने योग्य है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के अंतर्गत ₹86,000 करोड़ का बजट आवंटन किया गया था , जो शुरूआत से लेकर बजट अनुमान (बीई) चरण में अब तक का सबसे अधिक आवंटन था। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, सरकार ने इस आवंटन को ₹86,000 करोड़ पर बनाए रखा है , जिससे इस योजना के लिए निरंतर सहायता सुनिश्चित हो सके।

महत्मा गांधी नरेगा योजना के तहत दिनांक 26.11.2025 की स्थिति के अनुसार मजदूरी घटक की लंबित देनदारियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) और (ग): मजदूरी भुगतान में विलंब के संबंध में समिति की टिप्पणियों के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार , लाभार्थियों को काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए , भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक व्यापक मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसमें मजदूरी भुगतान प्रक्रिया के प्रत्येक चरण — मस्टर रोल अपलोड करने से लेकर एफटीओ अनुमोदन तक के लिए निश्चित समयसीमा निर्धारित की गई है। यह मंत्रालय मजदूरी भुगतान की समयबद्धता में सुधार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर निरंतर प्रयास करता रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर भुगतान आदेश तैयार करने की सलाह दी गई है।

इस मंत्रालय ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत श्रमिकों को समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें निम्न शामिल हैं:

• राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस) में सुधार करना।

• मजदूरी का समय पर भुगतान, लंबित और विलंब वाले क्षतिपूर्ति दावों का सत्यापन आदि सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ गहन परामर्श करना।

• समय पर भुगतान और विलंब वाले क्षतिपूर्ति दावों का भुगतान करने की निगरानी के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया का प्रारूप तैयार करना।

• राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आवधिक बैठकों, कार्य निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों, मध्यावधि समीक्षा आदि के दौरान समय पर भुगतान और विलंब वाले क्षतिपूर्ति दावों के भुगतान की स्थिति की समीक्षा करना।

इसके अलावा, मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा विभिन्न तकनीकी कार्यकलापों के माध्यम से निरंतर प्रयास किए गए हैं। कुछ प्रमुख कार्यकलापों में निम्न शामिल हैं:

• **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):** मजदूरी केंद्रीय खाते से सीधे मजदूरों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है, जिससे मध्यस्थों की भूमिका कम होती है और निधियों के दुर्विनियोजन में कमी आती है। यह पारदर्शिता बढ़ाने और निधियों की हेराफेरी को रोकने में प्रभावी साबित हुआ है। मजदूरी का भुगतान पूरी तरह से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रोटोकॉल के माध्यम से किया जाता है जिससे लगभग 100% निधियों का प्रबंधन इलेक्ट्रॉनिक रूप से होता है।

• **आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस):** एपीबीएस में रूपांतरण एक प्रमुख सुधार प्रक्रिया है जिसमें आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली को प्राथमिकता देते हुए इसके माध्यम से लाभ सीधे मजदूरों के बैंक खातों में उनके आधार के अनुसार जमा किए जाते हैं , जिससे भुगतान प्रक्रिया में कई स्तर कम हो जाते हैं। एपीबीएस बेहतर तरीके से लक्षित करने में सहायता करता है, प्रणाली की दक्षता बढ़ाता है और भुगतानों में विलंब को कम करता है , हेराफेरी को रोककर अधिक समावेशन सुनिश्चित करता है और इस प्रकार अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।

• **राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस):** कार्यस्थल पर जियो-टैग किए गए फोटोग्राफ के माध्यम से वास्तविक समय पर उपस्थिति दर्ज करने से सटीक और समय पर उपस्थिति दर्ज होना सुनिश्चित करता है, जिससे मजदूरी का समय पर भुगतान करने में मदद मिलती है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान (दिनांक 27.11.2025 तक), केरल में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 99.83% निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर जारी किए गए हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान (दिनांक 27.11.2025 तक), सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगाा योजना के तहत 98% निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर जारी किए गए हैं।

समिति की उस टिप्पणी के संदर्भ में जिसमें इस योजना के तहत 100 गारंटीकृत श्रम दिवसों की अपर्याप्तता और गारंटीकृत रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 करने के प्रस्ताव किया गया है , यह उल्लेख किया जाता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005, एक ऐसा अधिनियम है जिसमें देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जब बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होते , तब प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रमकार्य करने के इच्छुक हों उन्हें कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

यह मंत्रालय, वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक परिवार को अतिरिक्त 50 दिनों का मजदूरी रोजगार (निर्धारित 100 दिनों के अलावा) प्रदान करने का अधीदेश देता है, बशर्ते कि इन परिवारों के पास वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के तहत प्रदान किए गए भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति न हो।

इसके अतिरिक्त , सूखा/प्राकृतिक आपदा प्रभावित अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त 50 दिनों तक के मजदूरी रोजगार का प्रावधान है। हाल ही में , इस मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश , पंजाब और जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदाओं के कारण अतिरिक्त 50 दिनों के गारंटीकृत रोजगार की अनुमति प्रदान की है।

इसके अलावा, इस अधिनियम की धारा 3 (4) के अनुसार, राज्य सरकारें अपने स्वयं की निधियों से इस अधिनियम के तहत गारंटीकृत अवधि के अलावा रोजगार के अतिरिक्त दिनों की व्यवस्था कर सकती हैं।

मजदूरी में संशोधनों के संबंध में यह कहा गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 की धारा 6 (1) के अनुसार, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इसके लाभार्थियों के लिए अकुशल श्रमकार्य की मजदूरी दर निर्धारित कर सकती है। तदनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी दर की अधिसूचना जारी करता है। महात्मा

गांधी नरेगा मजदूरों को महंगाई से राहत देने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक वर्ष में कृषि मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई -एएल) में हुए परिवर्तनों के आधार पर मजदूरी दर में संशोधन करता है। यह मजदूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 01 अप्रैल से लागू की जाती है।

वर्तमान मजदूरी दर गणना की पद्धति का उपयोग करते हुए , केंद्र सरकार ने मजदूरी दर अधिसूचित की है और यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% (औसतन) और पिछले 5 वर्षों में लगभग 29% (औसतन) बढ़ गई है। हालांकि, राज्य सरकारें अपने स्वयं के स्रोतों से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर से अधिक मजदूरी प्रदान कर सकती हैं।

लोक सभा में दिनांक 02.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 252 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत दिनांक 26.11.2025 तक मजदूरी घटक की लंबित देनदारियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (रुपए करोड़ में)		
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**मजदूरी घटक की लंबित देनदारियां**
1	आंध्र प्रदेश	381.02
2	अरुणाचल प्रदेश	4.70
3	असम	0.23
4	बिहार	7.04
5	छत्तीसगढ़	3.78
6	गोवा	0.00
7	गुजरात	46.98
8	हरियाणा	0.38
9	हिमाचल प्रदेश	15.18
10	जम्मू और कश्मीर	5.48
11	झारखंड	5.83
12	कर्नाटक	8.94
13	केरल	248.42
14	मध्य प्रदेश	64.14
15	महाराष्ट्र	14.32
16	मणिपुर	4.59
17	मेघालय	4.13
18	मिजोरम	91.43

19	नागालैंड	0.79
20	ओडिशा	11.76
21	पंजाब	0.12
22	राजस्थान	627.33
23	सिक्किम	0.10
24	तमिलनाडु	111.54
25	तेलंगाना	0.98
26	त्रिपुरा	2.93
27	उत्तर प्रदेश	5.98
28	उत्तराखंड	0.41
29	पश्चिम बंगाल*	1457.22
30	अंडमान और निकोबार	0.00
31	लक्षद्वीप	0.00
32	पुडुदुचेरी	16.99
33	लद्दाख	0.46
34	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1.29
	कुल	**1687.27**

* पश्चिम बंगाल राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के मजदूरी बजट में संशोधन पश्चात वृद्धि करने का प्रस्ताव, इस विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के कारण , ग्रामीण विकास विभाग की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना), की अधिकारप्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया। इसके पश्चात, राज्य द्वारा केंद्र सरकार के निर्देशों का लगातार पालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसरण में पश्चिम बंगाल राज्य को दिनांक 09.03.2022 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत निधियां जारी करना भी रोक दिया गया। अतः, नरेगासॉफ्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित मजदूरी घटक की लंबित देनदारी (दिनांक 08.03.2022 तक) ₹1457.22 करोड़ हैं। इस देनदारी की स्वीकार्यता केंद्र सरकार द्वारा सत्यापन के अधीन है।